कार्यालय सहायक संचालक उद्यान (प्रमुख उद्यान) पचमढ़ी

क्रमाँक/उद्यान/भडांर/नीलामी/2015-16/ 1151 /पचमढ़ी, दिनाँक 22/3/16

निविदा सूचना

समस्त फल व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि शासकीय उद्यान पचमढ़ी एवं मटकुली की कलमी आम/लीची/नाशपाती/चीकू/कटहल एवं नीबू फलबहार की वर्ष 2016-17 हेतु सील बंद निविदायें दिनांक 11/04/2016 को कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से सांय 2.30 बजे तक कार्यालय सहायक संचालक उद्यान (प्रमुख उद्यान) पचमढ़ी में आमंत्रित की जाती है निविदायें उद्यानवार/फलवार अलग-अलग दर्शाई जाकर प्रेषित की जावे। सील बंद निविदायें दिनांक 11/04/2016 को ही दोपहर बाद 3.30 बजे से उपस्थित व्यापारियों के समक्ष खोली जावेंगी। इच्छुक व्यापारी निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वंय अथवा प्रतिनिधी को निविदा प्रेषित कर सकते हैं। फल बहार का उद्यानवार विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	उद्यान का नाम	फलबहार	कुल फलित पेड़ों की संख्या	धरोहर राशि	किस्म
1	2	3	4	5	6
1. A	**पचमढ़ी उद्यान** पोलो उद्यान	कलमी आम	201	25000/-	बाम्बेग्रीन, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका एवं अन्य किस्में
		लीची	22	7000/-	रोज सेंटेड
		नाशपाती	720	20000/-	बाबूगोशा, सेंटपियर, न्यूपियर एवं अन्य किस्में
		चीकू	36	20000/-	
		कटहल	3	500/-	
B	पगारा उद्यान	कलमी आम	12	5000/-	बाम्बेग्रीन, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, पायरी एवं अन्य किस्में
C	कर्बला उद्यान	कलमी आम	32	15000/-	चौसा, पायरी, दशहरी अन्य किस्में
		नाशपाती	150		बाबूगोसा, सेंटपियर एवं अन्य किस्में
		लीची	03		रोज सेंटेड
D	सतपुड़ा उद्यान	नाशपाती	229	10000/-	न्यूपीयर, सेंटपियर एवं अन्य किस्में
2.	**मटकुली उद्यान** (खण्ड अ+ब+स+द)	कलमी आम	274	25000/-	बाम्बेग्रीन, दशहरी, पायरी, जरदालू, लंगड़ा, मल्लिका, फजली एवं अन्य किस्में
	--"--	नीबू	650	25000/-	कागजी

नीलामी की शर्तें एवं नीलामी से संबंधित अन्य जानकारी के लिए निम्न स्थानों पर कार्यालयीन समय में संपर्क करें। एवं उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट देखें:- www.mphorticulture.gov.in

संपर्क सूत्र :-

1. कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यान पचमढ़ी :- 07578-252643
2. कार्यालय सहायक संचालक उद्यान (प्र.उ.) पचमढ़ी :- 07578-252074
3. शासकीय उद्यान पचमढ़ी :- 07578-252107
4. शासकीय उद्यान मटकुली :- 07578-286022

संयुक्त संचालक जनसंपर्क (विज्ञापन शाखा)
30 MAR 2016
आवक क्र. 20974
मध्यप्रदेश शासन

सहायक संचालक उद्यान,
(प्रमुख उद्यान)पचमढ़ी।
जिला होशंगाबाद

क्रमांक / उद्यान / भडांर / नीलामी / 2015–16 / 1152 / पचमढ़ी, दिनांक 22/3/16

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म0प्र0 भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि नीलामी दिनांक को उपस्थित होने / प्रतिनिधि भेजने की कृपा करें।
2. संयुक्त संचालक उद्यान नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक उद्यान प्रशिक्षण पचमढ़ी की ओर सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक उद्यान (प्र.उ.) पचमढ़ी की ओर भेजकर लेख किया जाता है कि फलबहार नीलामी संबंधी समस्त कार्यवाहियाँ समयावधि में पूर्ण करें।
5. सहायक संचालक उद्यान सिलारी–पिपरिया की ओर सूचनार्थ।
6. उद्यान अधीक्षक पचमढ़ी / मटकुली की ओर भेजकर लेख है कि आपके उद्यानकी फलबहार की निविदा कार्यवाही निविदा सूचना में उल्लेखित दिनांकों को कार्यालय सहायक संचालक उद्यान (प्र.उ.) पचमढ़ी में रखी गई है। अतः आप अपने तकनीकी सहायक के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित रहें तथा स्थानीय व्यापारियों को भी सूचित करें।
7. तहसीलदार पिपरिया / पचमढ़ी एवं छावनी परिषद पचमढ़ी नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
8. कार्यालयीन नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
9. फल व्यापारी श्री .... समस्त की ओर सूचनार्थ।

संलग्न :– नीलामी की आवश्यक शर्तें।

सहायक संचालक उद्यान,
(प्रमुख उद्यान)पचमढ़ी।
जिला होशंगाबाद

नीलामी की शर्तें

1. प्रत्येक व्यापारी से अनुरोध है कि निविदा दर भरने से पूर्व फल बहार का अवलोकन कर लेवे।
2. फलबहार निविदा हेतु निर्धारित फार्म राशि रूपये पचास जमा करने के उपरान्त कार्यालय सहायक संचालक उद्यान पचमढ़ी से प्राप्त किया जा सकता है।
3. समस्त निविदाकर्त्ताओं को निविदा के साथ स्थाई निवास एवं पहचान पत्र के प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा प्रत्येक उद्यानवार एवं फलबहार वार राशि दर्शायी जाकर अलग–अलग लिफाफे में रखकर लिफाफे के ऊपर ''.. (फल का नाम) .... (उद्यान का नाम) उद्यान की निविदा'' अंकित करें एक मुस्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. नीलामी सूचना पत्र के कालम क्रमांक तीन में उल्लेखित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सहायक संचालक उद्यान पचमढ़ी के नाम जो कि भारतीय स्टेट बैंक पचमढ़ी के नाम से देय हो निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। असफल निविदाकर्त्ता को बैंक ड्राफ्ट तत्काल वापस कर दिया जावेगा।
6. उच्चतम निविदाकर्त्ता को नीलामी की एक तिहाई राशि 24 घंटे के अंदर जमा करना होगा तभी निविदा/बोली मान्य की जावेगी, शेष राशि दो समान किस्तों में फसल तोड़ना शुरू करने के पूर्व जमा करनी होगी धरोहर राशि अंतिम किस्त में समायोजित की जावेगी द्वितीय निविदाकर्त्ता को धरोहरराशि का बैंक ड्राफ्ट उच्च निविदाकर्त्ता द्वारा एक तिहाई राशि जमा करने के उपरांत वापस किया जावेगा।
7. उच्च निविदाकर्त्ता को एक जमानतदार देना होगा जो निविदाकर्त्ता द्वारा राशि जमा न करने पर जिम्मेदार होगा।
8. निविदा स्वीकृति के बाद फसल की समस्त जबावदारी क्रेता की होगी। फलबहार को प्राकृतिक प्रकोप एवं विपदा से हुई हानि को मान्य नहीं किया जावेगा और न ही शासकीय जबावदारी रहेगी। फसल के भण्डारण की एवं आवास की व्यवस्था क्रेता को स्वयं करनी होगी।
9. पूर्व में क्रेता के ऊपर यदि नीलामी की राशि जमा करने हेतु शेष है तो ऐसे व्यक्ति एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य नीलामी में भाग नहीं ले सकेगें ऐसा पाये जाने की स्थिति में उन पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
10. निविदा उद्यानवार, फलबहार वार, पृथक–पृथक धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के साथ स्वीकृत की जावेगी।
11. बगीचे से फल तोड़ते समय पौधवार फलों का वजन कराना होगा।
12. प्रत्येक फलबहार के 15–15 फल किस्मवार आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार प्रादर्श के रूप में शासन को निःशुल्क प्रदाय करना होगा।
13. उद्यान में रोपित पौधों को, उत्पादित की जा रही अन्य फसलों को एवं उद्यान में रखी किसी भी सामग्री को नुकसान नहीं होना चाहिए अन्यथा उसकी भरपाई क्रेता को करना होगी।
14. सीलबंद निविदा में पर्याप्त राशि नहीं आने पर उसी दिन खुली बोली से नीलामी संपादित की जावेगी।
15. उद्यान में कार्यरत कर्मचारी एवं श्रमिक नीलामी में बोली नहीं लगा सकेंगें।
16. फलों की स्थानीय मांग की पूर्ति करने हेतु क्रेता को स्थानीय विक्रय केन्द्र स्थापित करना आवश्यक होगा।
17. क्रेता को अपने कार्यकत्ताओं के नाम उद्यान अधीक्षक को देना होगा उन कार्यकत्ताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों का उद्यान में प्रवेश निषेध रहेगा।
18. निविदा की राशि स्वीकार करना या न करना, बगैर कारण बताए निविदा निरस्त करना तथा विवाद की स्थिती में अंतिम निर्णय करने का अधिकार संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म.प्र. भोपाल के अधीन होगा।
19. फसल तोड़कर बगीचा खाली करने की अंतिम तिथी लीची हेतु 30 जून 2016, कलमी आमहेतु 15 जुलाई 2016 नासपाती हेतु 31 जुलाई 2016, एवं नीबू फसल हेतु 31दिसम्बर 2016 होगी।

सहायक संचालक उद्यान,
(प्रमुख उद्यान)पचमढ़ी।
जिला होशंगाबाद